संख्या–388 / 14–2–2017–800(167) / 2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 22 **मार्च 2017**

विषयः– एस्सार ऑयल लि0 वाराणसी द्वारा इलाहाबाद–गोरखपुर मार्ग (एस0एच0–07) के किमी0 संख्या–113 से 114 के मध्य खाता / खतौनी न0 702 ग्राम निजामपुर थाना शाहगंज तहसील शाहगंज जनपद जौनपुर में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.0750 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या–8बी / यूपी / 06 / 08 / 2017 / एफसी / 107 दिनांक 19–01–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–1769 / 11–सी / एफपी / यूपी / अदर्स / 20340 / 2016, दिनांक 22–02–2017 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 22–02–2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–388(1) / 14–2–2017–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।